भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5086
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत राजसहायता</u>

5086. श्री अरविंद धर्मापुरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीबाई) के अंतर्गत राजसहायता जारी की है और यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत अब तक राजसहायता प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत देश में कितने परिवारों द्वारा सौर पैनल लगाने का लक्ष्य है;

(ग) क्या सरकार ने पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत इसकी शुरूआत से इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चिह्नित प्राथमिक चुनौतियां क्या हैं; और

(घ) पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने वाले परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के तहत, दिनांक 26.03.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 10,81,792 परिवारों को छत पर सौर संयंत्रों की स्थापना से लाभ हुआ है और इस योजना के तहत 6,80,481 लाभार्थियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 5297.05 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत कुल वित्तीय परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन संशोधित अनुमान चरण में 9278.43 करोड़ रुपये है। यह योजना ऐसे सभी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए खुली है, जिनके पास देश भर में किसी विद्युत वितरण यूटिलिटी (अर्थात, डिस्कॉम) से मान्य उपभोक्ता खाता संख्या है और इसलिए योजना में राज्य-वार निधियों के आवंटन की व्याख्या नहीं है।

पीएमएसजी: एमबीवाई की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी और योजना की शुरुआत के तुरन्त बाद आचार संहिता लागू हो गई और योजना के दिशानिर्देश जून 2024 से जारी किए गए।

परिचालन संबंधी मुद्दे, जैसे समय पर सब्सिडी जारी करना, समय पर निरीक्षण करना, वेंडर नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि सहित योजना की प्रगति की नियमित निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। समीक्षा बैठकों के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुलग्नक

'पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत राजसहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5086 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 26.03.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत राज्य-वार प्रगति

क्र. सं.	राज्य	लाभान्वित परिवार (संख्या)	लाभार्थियों को जारी किया गया सीएफए (संख्या)	जारी की गई राशि सीएफए (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	18,117	11,415	88.06
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3	असम	10,947	6,949	58.30
4	बिहार	5,218	3,267	25.04
5	छत्तीसगढ़	2,423	1,021	7.91
6	गोवा	837	389	3.03
7	गुजरात	4,16,902	2,67,649	2,082.76
8	हरियाणा	22,297	13,394	100.36
9	हिमाचल प्रदेश	1,789	1,169	10.00
10	झारखंड	302	181	1.40
11	कर्नाटक	10,571	6,048	45.56
12	केरल	83,430	67,023	522.47
13	मध्य प्रदेश	32,093	25,505	198.09
14	महाराष्ट्र	2,56,853	1,18,631	931.69
15	मणिपुर	221	168	1.43
16	मेघालय	18	16	0.08
17	मिजोरम	139	107	0.88
18	नागालैंड	8	6	0.05
19	ओडिशा	3,426	2,448	18.57
20	पंजाब	5,543	4,177	32.54
21	राजस्थान	35,640	27,868	217.02
22	सिक्किम	4	2	0.02
23	तमिलनाडु	29,794	19,937	148.61
24	तेलंगाना	14,876	7,384	57.91
25	त्रिपुरा	190	112	0.94
26	उत्तर प्रदेश	1,00,009	76,559	582.51
27	उत्तराखंड	20,960	15,497	132.88
28	पश्चिम बंगाल	473	-	-
29	अंडमान और निकोबार	20	8	0.06
30	चंडीगढ़	657	247	1.90
31	दादर एवं नगर हेली और दमन एवं दीव	156	67	0.52
32	जम्मू और कश्मीर	2,970	1,185	10.15
33	लद्दाख	366	300	2.57
34	लक्षद्वीप	293	209	1.79
35	दिल्ली का एनसीटी	3,476	940	7.34
36	पुदुचेरी	774	603	4.62
	कुल	10,81,792	6,80,481	5,297.05

*****